न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 09/2022

1 तन्ना पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी कोटड़ी धायलान तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कैलाश सिंह पुत्र नारायणराम।
2 सागरसिंह पुत्र नारायणराम।
3 मुरली देवी पुत्री नारायणराम।
4 सुनिता पुत्री नारायणराम समस्त जाति जाट निवासीगण कोटड़ी धायलान तहसील खण्डेला जिला सीकर।
5 पंजाब नेशनल बैंक शाखा रींगस जिला सीकर।
6 भूमि धारक तहसीलदार तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांकित 15.02.2021 अनुवानी कैलाश सिंह बनाम जैसाराम प्रकरण संख्या 18/21 आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री नानूराम बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विधाधर सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 23.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्ड़ेला द्वारा मुकदमा नम्बर 18/2021 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने विचारण न्यायालय में एक प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व उसके साथ आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी का बउनवानी कैलाश सिंह बनाम जैसाराम इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 793/1, 795 कुल किता 2 कुल रकबा 2.63 हैक्टेयर वाके कोटड़ी धायलान तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित है, जिसके आवागमन का एकमात्र रास्ता अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 793/2 रकबा 4. 22 हैक्टेयर की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम लम्बाई में 18 फिट चौड़ाई का रास्ता खसरा नम्बर 793/1 तक कदीमी से चला आ रहा है, जो लघुतम एंव एक मात्र रास्ता है, जिसको अप्रार्थी को कटान में करवाने की कहने से इन्कार कर दिया एवं आवागमन बंद करने की धमकी दी जिस पर विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी में प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुन कर अन्तरिम रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा से मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने से प्रतिबंधित फरमा दिया जो तारीख दर तारीख बढ़ती हुई आगामी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तारीख दिनांक 31.05.2022 तक है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली प्राप्त नही हुई है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने इसी स्तर पर अन्तिम बहस सुनने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट का आवेदन धारा 251 (2) की परिधि में होने के कारण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। विचाराधीन स्थगन से अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। विधि अनुसार एक पक्षीय स्थगन को विचारण न्यायालय को एक माह में निस्तारित किये जाने का प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा इसकी अवहेलना कर निरन्तर आगे बढ़ाया जा रहा है। अत अपील स्वीकार कर स्थगन खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2015(2) पेज 890,आर.आर.टी. 2015(2) पेज 893 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रकरण के गुणावगुण का निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व अपील के स्तर पर विचारण न्यायालय के स्थगन में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण का निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व अपील के स्तर पर विचारण न्यायालय के स्थगन में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि आगामी दो माह में उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 251ए का अन्तिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर